

पहल

ई-समाचार पत्र (मासिक) – इक्यावनवां संस्करण (माह जनवरी, 2020)

→ “पहल” के इस संस्करण में

1. अपनी बात
2. सर्वाधिक प्रशिक्षण हेतु संस्थान को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार
3. “सुजल एवं स्वच्छ गांव” विषय पर प्रशिक्षण
4. एम.आर.पी. ओरिएंटेशन एवं अससेमेंट प्रोग्राम
5. प्रदेश के एम.आर.पी. जम्मू कश्मीर में जाकर बता रहे अपनी सफलता की बातें
6. महिलाओं की स्थिति और समाज
7. आज के युग में विज्ञान के प्रभाव
8. मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 तथा पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (2001) की विशेषताएँ
9. हार्टफुलनेस सेन्टर हैदराबाद का भ्रमण
10. एम.आर.पी. ने शुरुआत की नशीले पदार्थों के रोकथाम के लिये प्रयास
11. “नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम” विषय कार्यशाला
12. नशा मुक्ति पर कविता
13. मेरा गांव मेरा देश



प्रकाशन समिति

संरक्षक एवं सलाहकार

श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव (IAS)
अपर मुख्य सचिव,
म.प्र.शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रधान संपादक

श्री संजय कुमार सराफ,
संचालक,
महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास
एवं पंचायतराज संस्थान-म.प्र., जबलपुर

सह संपादक

श्रीमती सुनीता चौबे,
उप संचालक, म.गां.रा.ग्रा.वि.पं.रा.स.-म.प्र., जबलपुर

ई-न्यूज के सम्बन्ध में अपने फीडबैक एवं आलेख छपवाने हेतु कृपया इस पते पर मेल करें—mgsirdpahal@gmail.com

Our official Website : www.mgsird.org, Phone : 0761-2681450 Fax : 761-2681870

Designed & Developed by Jay Shrivastava and Ashish Dubey, Programmer, MGSIRD&PR, JABALPUR





अपनी बात...



“पहल” मासिक ई-न्यूज लेटर का इक्यावनवां संस्करण का प्रकाशन किया जा रहा है, जो वर्ष 2020 का प्रथम मासिक संस्करण है।

इस संस्करण “सर्वाधिक प्रशिक्षण हेतु महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायतराज संस्थान-म.प्र., जबलपुर को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार” आलेख के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान-म.प्र. जबलपुर को वर्ष 2018-19 में सर्वाधिक प्रशिक्षण गतिविधियों हेतु तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया।

साथ ही “स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत “सुजल एवं स्वच्छ गांव” विषय पर प्रशिक्षण”, “मास्टर रिसोर्स परसन ओरिएन्टेशन एवं अससेमेंट प्रोग्राम”, “प्रदेश के एम.आर.पी. जम्मू – कश्मीर में जाकर बता रहे रहे हैं अपनी सफलता की बातें”, “महिलाओं की स्थिति और समाज”, “आज के युग में विज्ञान के प्रभाव”, “मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 तथा पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (2001) की विशेषताएं”, “हार्टफुलनेस सेन्टर हैदराबाद का भ्रमण”, “जनपद स्तरीय मास्टर रिसोर्स परसन ने शुरूआत की नशीले पदार्थों के रोकथाम के लिये प्रयास”, “पंचायतराज व्यवस्था के कार्यान्वयकों के लिए “नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम” विषय पर एक दिवसीय जागरुकता कार्यक्रम/क्षमतावर्धन कार्यशाला”, “नशा मुक्ति पर कविता” एवं “मेरा गांव मेरा देश” आदि आलेख एवं संस्थागत गतिविधियों को भी इस संस्करण में शामिल किया गया है।

मुझे पूर्ण भरोसा है कि ‘पहल’ का यह संस्करण रुचिकर एवं कई विषयों पर आपको नवीन जानकारियां प्रदान करेगा।

शुभकामनाओं सहित।

संजय कुमार सराफ
संचालक



सर्वाधिक प्रशिक्षण हेतु महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायतराज संस्थान-म.प्र., जबलपुर को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार



ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विज्ञान भवन, नई दिल्ली में दिनांक 19.12.2019 को आयोजित राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में ग्रामीण विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं (मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आजीविका मिशन, दीनदयाल उपध्याय ग्रामीण कौशल योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरन मिशन एवं देश के राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण संस्थान आदि) में 266 राज्य, जिला, विकासखण्ड और ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों/नियोक्ताओं एवं व्यक्तियों के उल्लेखनीय कार्य के लिए पुरस्कार प्रदान किये गये।

कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, केन्द्रीय मंत्री, भारत सरकार, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया।

आयोजित पुरस्कार समारोह में राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान-म.प्र. जबलपुर को वर्ष 2018-19 में

सर्वाधिक प्रशिक्षण गतिविधियों हेतु तृतीय पुरस्कार प्रदान किया।

उक्त पुरस्कार माननीय श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, केन्द्रीय मंत्री, भारत सरकार, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा श्री संजय कुमार सराफ, संचालक, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान-म.प्र. जबलपुर ने प्राप्त किया।

राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में माननीया साध्वी निरंजन ज्योति, राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, श्री अमरजीत सिन्हा, सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास विभाग, श्री प्रशांत कुमार, अतिरिक्त सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास विभाग, श्रीमती अलका उपाध्याय, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास विभाग आदि अधिकारीगण उपस्थित रहे।

**जय कुमार श्रीवास्तव
प्रोग्रामर**



स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत “सुजल एवं स्वच्छ गांव” विषय पर 5 दिवसीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम



सिहोर एवं शाजापुर जिलों से कुल 57 प्रतिभागी उपस्थित हुये।

कार्यक्रम का शुभारंभ संचालक, डॉ. संजय कुमार सराफ, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान उपसंचालक श्री शैलेन्द्र कुमार सचान, यूनिसेफ एवं प्राइमोव संस्था, पुणे, महाराष्ट्र के प्रशिक्षकों एवं स्त्रोत व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलन कर किया गया। प्रशिक्षण अंतर्गत पूरे कार्यक्रम के उद्देश्यों पर चर्चा करते हुये प्रतिभागियों को उनके द्वारा ब्लॉक स्तर पर दिये जाने वाले प्रशिक्षण की रणनीति, पाठ्य सामग्री, मॉड्यूल आदि पर चर्चा करते हुये उनकी भूमिका का महत्व बताया गया।

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत “सुजल एवं स्वच्छ गांव” विषय पर महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान में संस्थान, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग भारत सरकार, यूनिसेफ एवं प्राइमोव संस्था, पुणे, महाराष्ट्र के सहयोग से क्रमशः दिनांक 09 से 13 नवम्बर एवं 16 से 20 नवम्बर 2019 की अवधि में 5 दिवसीय जिला स्तरीय स्त्रोत दल हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिसमें प्रथम सत्र में अशोकनगर, भिंड, भोपाल, दतिया, गुना, ग्वालियर, मुरैना, नरसिंहपुर, राजगढ़, सागर, श्यापुर, शिवपुरी एवं विदिशा जिलों से कुल 55 प्रतिभागी एवं द्वितीय सत्र में उज्जैन, बैतूल, भोपाल, हरदा, होशंगाबाद, मंदसौर नीमच, रायसेन, रतलाम,

इस पाँच दिवसीय कार्यशाला के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को सुजल एवं स्वच्छ गांव में सेवा प्रदाय करने हेतु सेवाओं के महत्व, गांव में पेयजल की मांग एवं इसकी उपलब्धता, पेयजल का रख-रखाव, स्वच्छ पानी का प्रबंधन, खुले में शौच मुक्त की स्थिति, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की स्थिति, पेयजल एवं स्वच्छता सुविधायें हेतु रिसोर्स एनवलप, सुजल एवं स्वच्छ गांव हेतु आईईसी गतिविधियां, स्वच्छताग्राहियों की भूमिका विषय पर चर्चा कर प्रशिक्षण प्रदाय किया गया। प्रशिक्षण के चतुर्थ दिवस प्रतिभागियों को जिला पंचायत, जबलपुर की जनपद पंचायत कुडम अंतर्गत ग्राम पंचायत इमलई एवं द्वितीय सत्र जिला पंचायत, जबलपुर की जनपद पंचायत पनागर अंतर्गत ग्राम पंचायत उमरिया का भ्रमण कर सुजल एवं स्वच्छ गांव





के मानकों का आंकलन कर ग्रामीणों के साथ साझा किया।

उपरोक्त प्रशिक्षण में स्वच्छ भारत मिशन कार्यालय से संचार सलाहकार, श्री साबिर इकबाल, एम एण्ड ई सलाहकार श्री रविशंकर एवं संभागीय सलाहकार श्री

शाश्वत नायक ने हिस्सा लिया। इस पूरे कार्यक्रम का समन्वय संकाय सदस्य श्री पंकज राय एवं संकाय सदस्य श्री सुरेन्द्र प्रजापति द्वारा किया गया।

प्रशिक्षण के अंतिम दिवस समापन कार्यक्रम में जबलपुर संवालक, डॉ. संजय कुमार सराफ, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान, यूनिसेफ एवं प्राइमोव संस्था, पुणे, महाराष्ट्र के प्रशिक्षकों एवं स्रोत व्यक्तियों ने प्रशिक्षणार्थियों को उनके कार्यों एवं उद्देश्यों के बारे में चर्चा कर प्रमाण पत्र वितरित कर सत्र का समापन किया।



सुरेन्द्र प्रजापति
संकाय सदस्य



“मास्टर रिसोर्स परसन (एमआरपी) ओरिएन्टेशन एवं असेसमेंट प्रोग्राम”



महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान, म.प्र. आधारताल, जबलपुर के संचालक श्री संजय कुमार सराफ की पहल एवं राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान हैदराबाद के महानिदेशक डॉ. डब्ल्यू. आर. रेड्डी (आई.ए.एस.) के मार्गदर्शन से प्रदेश की प्रत्येक जनपद पंचायत में कम से कम 2 सर्टीफाईड मास्टर रिसोर्स परसन उपलब्ध कराने के लिए नवाचार के रूप में अभिनव प्रयास किया जा रहा है।

इसी श्रृंखला में संस्थान में दिनांक 03 से 06 दिसम्बर 2019 की अवधि में मास्टर रिसोर्स परसन (एमआरपी) सर्टीफिकेशन हेतु “ओरिएन्टेशन एण्ड असेसमेंट” प्रोग्राम आयोजित किया गया। प्रोग्राम गतिविधियों की जानकारी इस रिपोर्ट के माध्यम से प्रस्तुत की जा रही है। इस प्रोग्राम में जिसमें जिला जबलपुर से 16, कटनी से 9, नरसिंहपुर से 16,

डिण्डौरी से 7 एवं सीधी से 6 कुल 54 प्रतिभागी उपस्थित हुये।

सभी प्रतिभागी प्रारंभिक तैयारियों हेतु एक दिवस पूर्व दिनांक 02 दिसम्बर 2019 को प्रातः उपस्थित हो गये थे। सभी उपस्थित प्रतिभागियों को इस सर्टीफिकेशन प्रोग्राम के संबंध में जानकारी दी गई। संबंधित जिलों के नोडल अधिकारियों द्वारा प्रतिभागियों को समझाईश दी गई। परिचय एवं पंजीयन के बाद सभी प्रतिभागियों को किटबैग, अध्ययन सामग्री प्रदान की गई।

प्रोग्राम के प्रथम दिवस दिनांक 03 दिसम्बर 2019 को सत्रारम्भ के अवसर पर प्रतिभागियों का परिचय हुआ। इसके बाद संस्थान के उपसंचालक श्रीमती सुनीता चौबे एवं श्री शैलेन्द्र कुमार सचान ने प्रोग्राम की आवश्यकता एवं गतिविधियों पर चर्चा की। डॉ. संजय कुमार राजपूत द्वारा प्रोग्राम की रूपरेखा बताई गई।



श्री मुनीश जैन, ट्रेनिंग मैनेजर, एनआईआरडीपीआर हैदराबाद द्वारा प्रतिभागियों को सर्टीफिकेशन प्रक्रिया के संबंध में बताया गया। इन्होंने बताया कि, इन चार दिवसों में पहले पंचायतराज एवं ग्रामीण विकास के प्रमुख विषयों की जानकारी दी जावेगी। इसके बाद प्रतिभागियों का असेसमेंट किया जावेगा। असेसमेंट के मानदण्डों पर चर्चा करते हुये श्री जैन ने बताया कि प्रतिभागी के अनुभव पर 20 अंक, विषय की जानकारी लिखित परीक्षा पर 20 अंक, प्रशिक्षण देने की योजना बनाना 20 अंक, प्रशिक्षण देना 20 अंक, प्रशिक्षण सत्र का प्रबंधन 20 अंक कुल 100 अंक निर्धारित किये गये हैं।

असेसमेंट की प्रक्रिया को समझाते हुये बताया गया कि, एनआईआरडीपीआर के प्रशिक्षण मैनेजर, नेशनल लेवल मास्टर असेसर्स द्वारा असेसमेंट की प्रक्रिया सम्पन्न की जाती है। असेसमेंट पूर्ण हो जाने के बाद प्रतिभागियों का ग्रेडेशन किया जाता है। 65 से 100 तक के लिए “ए” ग्रेड, 55 से 65 तक के लिए “बी” ग्रेड दिया जाता है। “ए” एवं “बी” ग्रेड में आये प्रतिभागियों को एनआईआरडीपीआर हैदराबाद द्वारा सर्टीफिकेट प्रदान किया जाता है।

इसके बाद पंचायतराज व्यवस्था, ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा विषय पर चर्चा की गई। संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों एवं म.प्र. पंचा.रा. एवं ग्रा.स्व.अधि.1993 – धाराएं एवं नियमों की जानकारी डॉ. संजय कुमार राजपूत, संकाय सदस्य द्वारा दी गई। चर्चा में संविधान संशोधन की विशेषताएं, पंचायतों का गठन, कर लगाने की शक्ति, निर्वाचन प्रक्रिया, आरक्षण प्रक्रिया, अंकेक्षण प्रक्रिया, पंचायत सेक्टर में आने वाले विषय, ग्राम सभा की शक्तियों के प्रावधानों को समझाया गया। मध्यप्रदेश में पंचायतराज व्यवस्था में ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जनपद व जिला पंचायत से संबंधित प्रमुख प्रावधानों को बताया गया।

श्री राजीव लघाटे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ज.पं. द्वारा ग्राम पंचायत से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण प्रावधानों पर चर्चा की गई। चर्चा में इन्होंने ग्राम पंचायत का गठन, कार्य एवं शक्तियां की जानकारी दी।

ग्राम पंचायत द्वारा आयोजित की जाने वाली बैठक प्रक्रिया की जानकारी देते हुये बैठक का एजेण्डा, कोरम, निर्णय के बारे में बताया। ग्राम पंचायत की तीनों स्थाई समितियों का गठन, इनके अन्तर्गत आने वाले विषय, स्थाई समितियों की बैठक प्रक्रिया को समझाया। ग्राम पंचायत के सरपंच एवं उपसरपंच, सचिव के कार्य, दायित्वों की जानकारी दी गई।

ग्राम सभा का गठन, कार्य एवं शक्तियां, बैठक प्रक्रिया, पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा) (THE PROVISIONS OF THE PANCHAYATS (EXTENSION TO THE SHCEDULED AREAS) ACT, 1996 (PESA), अनुसूचित क्षेत्र विशेष उपबंध के प्रावधानों को श्री नीलेश कुमार राय, संकाय सदस्य द्वारा समझाया गया।

ग्रामीण विकास की प्रमुख योजनाओं पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण के संबंध में श्री नीलेश कुमार राय, संकाय सदस्य एवं श्रीमती शिवानी जैन, मु.का.पा. अधि. ज.प. द्वारा बताया गया।

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम की जानकारी देते हुये श्री जयकुमार श्रीवास्तव, कम्प्यूटर प्रोग्रामर द्वारा बताया गया कि इससे जहां एक ओर छात्र-छात्राओं में पढ़ाई-लिखाई के प्रति रुचि बढ़ रही है वहीं दूसरी ओर स्व-सहायता समूह रसाईयों को भी अतिरिक्त रोजगार मिल रहा है। इन्होंने मध्यान्ह भोजन के नियम व प्रावधानों के संबंध में विस्तार से समझाया।

स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्यों व गतिविधियों की जानकारी श्री सुरेन्द्र प्रजापति, संकाय



सदस्य द्वारा दी गई। मिशन के प्रमुख घटकों पर चर्चा करते हुये ठोस व तरल पदार्थों का सुरक्षित निपटान, खुले में शौच से मुक्ति, शुद्ध पेयजल, गांव में गंदगी दूर करने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की।

इसके साथ ही साथ श्री प्रजापति द्वारा एवं डिजिटल इंडिया एवं डिजिटल पेमेन्ट्स, सोशल मीडिया विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रावधानों पर श्री त्रिलोचन सिंह, संकाय

कार्य, रिपोर्टिंग सिस्टम, ग्राम सभाओं का आयोजन, सहभागिता, पीआरए तकनीक को समझाया।

श्री जयकुमार श्रीवास्तव एवं श्री आशीष कुमार दुबे कम्प्यूटर प्रोग्रामर द्वारा ई-गवर्नेंस – डिजिटल इंडिया, जीपीडीपी ई-संस्करण, पंचायत दर्पण, पंचायत इंटरप्राइस सूट (पीइएस), पंचायत फायनेंसियल मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस), ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों के लिए एमआईएस के संबंध में जानकारी दी तथा संबंधित एप्लीकेशन का प्रदर्शन करके बताया।

डॉ. संजय कुमार राजपूत, संकाय सदस्य द्वारा



सदस्य द्वारा चर्चा की गई। उपयोजनाएं, जॉबकार्ड, रोजगार लेने की प्रक्रिया, रिकार्ड तैयार करना, डाटा-फीडिंग इत्यादि के संबंध में विस्तार से समझाया गया।

सबकी योजना सबका विकास अन्तर्गत ग्राम पंचायत में बनाई जाने वाली वार्षिक योजना तैयार करने की प्रक्रिया के संबंध में श्री पंकज राय, संकाय सदस्य द्वारा चर्चा की गई। जीपीडीपी के विभिन्न घटकों जिनमें वातावरण निर्माण, रिसोर्स एनवलप,

व्याख्यान विधि का प्रशिक्षण में उपयोग के संबंध में बताया गया। इसके बाद व्याख्यान अभ्यास के संबंध में बताया गया। प्रतिभागियों द्वारा दिये जाने वाले व्याख्यान के विषयों पर चर्चा की गई।

द्वितीय दिवस दिनांक 04 दिसम्बर 2019 के प्रारंभ में महिलाओं के प्रति हिंसा की रोकथाम के लिए बनाये गये महत्वपूर्ण प्रावधानों पर सुश्री निकिता पाठक द्वारा चर्चा की गई। चर्चा में महिलाओं के



सशक्तीकरण के लिए शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई।

डॉ. प्रेम सिंह द्वारा जैविक विधि से कृषि कार्य करने में ग्राम पंचायतों की भूमिका विषय पर चर्चा की गई। चर्चा में बताया गया कि वर्तमान समय में खेती-बाड़ी के कार्य में रसायनिक खाद, कीटनाशक का उपयोग बहुत अधिक हो रहा है। इससे किसानों पर लागत का बोझ भी अधिक आता है। इस समस्या का हल यही है कि कृषि कार्य की लागत को कम किया जावे। यह भी ध्यान रखना है कि उत्पादन भी ऐसा हो जो नुकसान न करे। इनके द्वारा वातावरण को शुद्ध रखने एवं जैविक खाद्य बनाने की विधि की जानकारी दी गई।

डॉ. ए. के. सिंह द्वारा व्यवस्थित प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण में व्याख्यान, समूह चर्चा, रोल-प्ले, क्विज आदि विधियों की विशेषताएं एवं इनके उपयोग करते समय ध्यान में रखी जाने वाली बातें बताईं। इन्होंने व्याख्यान देते समय संप्रेषण कौशल, देहबोली, नेत्र संपर्क, आवाज का उतार चढ़ाव, प्रतिभागियों के प्रश्नों का उत्तर देते समय ध्यान में रखी जाने वाली बातें, प्रशिक्षक के गुण रोचक उदाहरणों के साथ समझाया।

इसके बाद प्रतिभागियों के तीन समूह बनाये गये। अगल अगल क्लासरूम में प्रतिभागियों से व्याख्यान देने का अभ्यास कराया गया। इसके बाद तीनों क्लास में री-इन-फोर्समेंट क्विज की तैयारी एवं क्विज अभ्यास कराया गया। जिसमें आर्बजवर के रूप में सुश्री निकिता पाठक, सुश्री कमलजीत सिंह कौर, श्री राजीव लघाटे, श्री नीलेश राय, श्री सुरेन्द्र प्रजापति, श्री पंकज राय शामिल हुए। डॉ. ए. के. सिंह द्वारा प्रतिभागियों को व्याख्यान अभ्यास एवं क्विज के संबंध में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया गया।

प्रतिभागियों के ज्ञान को परखने के लिए श्री मुनीश जैन प्रशिक्षण मैनेजर, एनआईआरडीपीआर

हैदराबाद की उपस्थिति में प्रतिभागियों की लिखित परीक्षा आयोजित की गई।

तृतीय दिवस दिनांक 05 दिसम्बर 2019 के प्रारंभ में संस्थान के संचालक श्री संजय कुमार सराफ द्वारा प्रतिभागियों से चर्चा की गई। चर्चा में मास्टर रिसोर्स परसन के महत्व एवं जबाबदारियों को बताया। इन्होंने कहा कि, प्रशिक्षक के रूप में हमारी जबाबदारियां भी बढ़ जाती हैं। गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण के विषय पर समझाईश देते हुए इन्होंने बताया कि प्रशिक्षण को विषय की सही व प्रमाणित जानकारी होना चाहिए।

इसके बाद तृतीय व चतुर्थ दिवस दिनांक 06 दिसम्बर 2019 की अवधि में प्रतिभागियों के मूल्यांकन के लिए विषयगत क्षेत्र पर प्रतिभागियों से व्याख्यान का प्रस्तुतिकरण डॉ. ए. के. सिंह एवं सुश्री नीला पटेल, नेशनल मास्टर एसेसर्स, एनआईआरडी पीआर हैदराबाद द्वारा कराया गया।

प्रतिभागियों के व्याख्यान प्रजेन्टेशन के बाद ट्रेनिंग मैनेजमेंट पोर्टल के विषय पर श्री मुनीश जैन प्रशिक्षण मैनेजर, एनआईआरडीपीआर हैदराबाद द्वारा चर्चा की गई।

प्रोग्राम की प्रभाविकता का ऑकलन करने हेतु संस्थान एवं एनआईआरडीपीआर का फीडबैक प्रपत्र प्रतिभागियों से भरवाया गया। प्रोग्राम में सहभागिता का प्रमाण-पत्र, भारमुक्ति आदेश, उपस्थित प्रतिभागियों की सूची एवं ग्रुप फोटो सभी प्रतिभागियों को दिये गये। इसके उपरान्त प्रोग्राम का समापन किया गया।

**डॉ. संजय कुमार राजपूत,
संकाय सदस्य**



प्रदेश के “सर्टीफाईड मास्टर रिसोर्स परसन (एमआरपी)
जम्मू – कश्मीर में जा कर बता रहे रहे हैं अपनी सफलता की बातें



मध्यप्रदेश के खैरलांजी जनपद पंचायत जिला बालाघाट की जनपद पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती माधुरी ऋषि शुक्ला जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान, हैदराबाद की सर्टीफाईड मास्टर रिसोर्स हैं। जम्मू एवं कश्मीर शासन के आमंत्रण पर श्रीमती शुक्ला ने कनवेंशन सेन्टर, जम्मू में दिनांक 17-18 दिसम्बर 2019 को आयोजित जम्मू कश्मीर के निर्वाचित “ब्लाक डेवलपमेंट कौंसिल” के चेयर परसन के प्रशिक्षण कार्यक्रम में मध्यप्रदेश की पंचायतराज व्यवस्था एवं अपने द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्यों को बताया।

श्रीमती शुक्ला को इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर भेजने की अनुशंसा श्री शैलेन्द्र कुमार सचान, प्राचार्य, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं

पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्र, सिवनी एवं एनआईआरडीपीआर हैदराबाद द्वारा की गई थी।

प्रदेश की सर्टीफाईड एमआरपी श्रीमती माधुरी ऋषि शुक्ला द्वारा उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित “ब्लाक डेवलपमेंट कौंसिल” के चेयर परसन के प्रशिक्षण में मध्यप्रदेश की पंचायतराज व्यवस्था के संबंध में चर्चा करते हुये बताया गया कि प्रदेश में ग्राम सभा को कानूनी दर्जा दिया गया है। ग्राम पंचायत के सरपंचों का प्रतिनिधित्व जनपद पंचायत और जनपद पंचायत के अध्यक्षों का प्रतिनिधित्व जिला पंचायत की सामान्य सभा में होता है। जनपद पंचायत में पंचायत पदाधिकारियों की निर्णय एवं उनके कियान्वयन में सहभागिता, पर्यवेक्षण, कार्यालय प्रबंधन में किये गये अभिनव प्रयासों की चर्चा श्रीमती शुक्ला की गई।

श्रीमती शुक्ला द्वारा प्रतिभागियों के प्रश्नों का उत्तर पूरे उत्साह से दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के महामहिम राज्यपाल श्री गिरीश चन्द्र मुरमु, ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज विभाग, जम्मू





कश्मीर शासन की सचिव श्रीमती शीतल नंदा (आईएस) के साथ ही साथ अन्य प्रदेशों के उत्कृष्ट कार्य करने वाले पंचायत प्रतिनिधि, एनआईआरडीपीआर हैदराबाद के अधिकारी शामिल हुए।

श्रीमती शुक्ला द्वारा बताया गया कि, मैं जनपद पंचायत उपाध्यक्ष की भूमिका में कार्य कर रही हूँ। इसके साथ ही साथ महिलाओं एवं बच्चों के विकास के मुद्दों पर भी मैं अपना योगदान दे रही हूँ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मेरा सर्टीफिकेशन एनआईआरडी हैदराबाद द्वारा किया गया है। जिससे मुझे अपने प्रदेश के साथ ही साथ अन्य प्रदेशों में जाकर निकट से वहां की पंचायतराज व्यवस्था समझने का अवसर मिल रहा है।

श्रीमती शुक्ला के जम्मू-कश्मीर जाने से प्रदेश के अन्य सर्टीफाईड एमआरपी में उत्साह और खुशी व्याप्त है। संस्थान के संचालक श्री संजय कुमार सराफ द्वारा बताया गया कि, प्रदेश में सर्टीफाईड एमआरपी की सेवाएं प्रदेश में आयोजित किये जाने वाले विभिन्न प्रशिक्षणों एवं योजनाओं में ली जावेंगी।

**डॉ. संजय कुमार राजपूत,
संकाय सदस्य**



महिलाओं की स्थिति और समाज



किसी भी समाज की प्रगति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी है एवं समाज के लोगो का महिलाओं के प्रति क्या नजरिया है। प्रगतिशील समाज हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने और उनकी तरक्की में अपनी और अपने समाज की तरक्की को देखता है किंतु ऐसे लोगो की संख्या कम ही होती है। प्रायः भारतीय समाज में जो कि पितृसत्तात्मक होता है प्रायः वहाँ यह देखा जाता है कि महिलाओं को सारे अधिकार तो दिए गए हैं किंतु उनके उपयोग करने व उन्हें क्रियान्वित करना कठिन होता है महिलाओं से उनके विचार तो लिए जाते हैं किंतु यह आवश्यक नहीं है कि उनकी बात पर गंभीरता से विचार हों कारण स्पष्ट है कि इस पुरुषवादी समाज में महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक ही समझा जाता है। समाज की इसी मानसिकता के चलते धीरे-धीरे प्रगतिशील महिला वर्गों ने इसका विरोध करना प्रारंभ कर दिया और अब वे समाज में अपनी समानता को लेकर बात करने लगीं। आज महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों का यदि बारीकी से अध्ययन किया जाए तो हम पाते हैं कि जहाँ भी महिला ने अपने हकों और अधिकारों के लिए आवाज बुलंद की है विरोधी पक्ष ने उसे हिंसा का सहारा लेकर समाप्त करने की



कोशिश की है। हमारे समाज में लोगो को समाज के लिए बनाए जाने पर बल दिया जाता है न कि समाज को हमारे अनुसार बनने का इस बात पर बहुत अधिक विवाद हो सकता है कि समाज की मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है कि व्यक्ति विशेष की। आज यदि कोई भी महिला खासतौर पर पिछड़ें और आदिवासी एवं दलित समाज की यदि किसी भी क्षेत्र में तरक्की करती है तो उसे उस समाज विशेष का खासकर पुरुषों का किसी न किसी प्रकार के विरोध का सामना करना पड़ता है। चाहे वह विरोध खुला हो अथवा घरेलू किसी भी रूप में हो सकता है। सरकार द्वारा महिलाओं को समाज की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए उनके लिए अनेक कार्यक्रम व योजनाएँ चलाई जाती हैं किंतु वे सिर्फ सरकारी आकड़ों में सिमटकर रह जाती हैं समाज एवं महिलाओं द्वारा उन्हें अपना नहीं माना जाता है और वे सिर्फ सरकारी योजना बनकर रह जाती हैं।

आज आवश्यकता इस बात की है कि लोगो को अर्थात् समाज को यह एहसास हो कि महिलाएँ भी समाज का अभिन्न हिस्सा हैं इनको मुख्यधारा में शामिल किए बगैर हम समाज के विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सरकार द्वारा कुछ ऐसे कदम उठाए गए हैं जो कि निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण हेतु सराहनीय हैं उदाहरण स्वरूप जैसे यदि हम सरकारी योजनाओं में मनरेगा की बात करें तो महिलाओं को प्रसूति सुविधा, कार्यस्थल की सुविधा, कार्यक्षेत्र में बनी कार्य हेतु निगरानी समिती बनाई गई है कि जो यह देखेगी कि महिलाओं को कार्य के दौरान किसी प्रकार की तकलीफ तो नहीं हो रही है। इसी तरह से महिला एवं बाल विकास विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग की गर्भवती माता एवं शिशु के लिए चलाई जा रही योजनाएँ जैसे जननी सुरक्षा, प्रसूति सहायता, कुपोषित बच्चों हेतु एन.आर.सी सेंटर सुविधा, लड़कियों हेतु लाडली लक्ष्मी योजना , गाँव की बेटा आदि ऐसी ही अन्य योजनाओं में भी सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई है और अब अपनी सोच का दायरा बढ़ाया है निश्चित रूप से समय के साथ सरकार व शासन प्रशासन में महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ी है जो कि समाज में महिलाओं की स्थिति को मजबूत करने हेतु अधिक कारगर सिद्ध होगी वैसे कही न कही पुरुष समाज भी इस बात को समझ चुका है कि महिलाओं को नजर अंदाज कर कोई भी देश अथवा समाज तरक्की नहीं कर सकता है। यदि हमें देश का सर्वांगीण विकास करना है तो महिलाओं को विकास की मुख्य धारा में लाना ही होगा, साथ ही अपनी मानसिकता में बदलाव लाने की भी आवश्यकता होगी क्योंकि यदि हम जैसे नजरिया रखते हैं हमारी आने वाली पीढ़ी भी उसका अनुसरण करेगी और समाज की दशा और दिशा तय करेंगे।

आशीष कुमार दुबे,
प्रोग्रामर



आज के युग में विज्ञान के प्रभाव

विज्ञान हम यह शब्द बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं , जो हमारी हर परिस्थिति में साथ रहा है विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं के लिए जो नए-नए आविष्कार किए हैं, वे सब विज्ञान की ही देन हैं। विज्ञान को मनुष्यों ने बनाया या यह हमारे पहले भी था यह चर्चा का विषय हो सकता है जिस प्रकार हमारी प्रकृति का आचरण है इससे यह प्रतीत होता है कि विज्ञान युगो-युगो से संसार में रहा है, मनुष्यों ने इस ज्ञान को और बढ़ने में जरूर अपनी भूमिका निभाई है यह भी सत्य है आज युग विज्ञान का युग है। विज्ञान ने हमारे जीवन के विभिन्न स्तरों में क्रांति ला दी है यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी , आज हम जोभी कार्य कर रहे हैं लगभग समस्त कार्यों में विज्ञान ने अपनी भूमिका बनाई है जो हम देख भी रहे हैं एवं इसका उपयोग भी तेजी से कर रहे हैं ।



विज्ञान ने हमारे जीवन में नए-नए आयाम उन्नत कर दिए हैं आज विज्ञान के क्षेत्र में रोज नए आविष्कार इस बात का प्रमाण हैं कि विज्ञान की उन्नति अब शिशु अवस्था को पार कर चुकी है। अब वह यौवनावस्था में आ चुकी है। परिणाम स्वरूप उसने अपनी चरम उन्नति कर ली है। इससे हम यह कह सकते हैं कि आज विना विज्ञान के मनुष्य जीवन कि परिकल्पना करना लगभग असंभव सा प्रतीत होता है जो टेस्ट ट्यूब में इच्छानुसार संलन की प्राप्ति करने से लेकर आकाश-पताल के गम्भीर रहस्यों का ज्ञान प्राप्त करने तक विज्ञान ने अब मनुष्य को सृष्टि का दूसरा ब्रह्मा सिद्ध कर दिया है। आज विज्ञान का स्वरूप और उसके कार्य अनंत है। इससे इसने सम्पूर्ण सृष्टि को प्रभावित और चमत्कृत कर दिया है।

प्रकृति पर विजय अपनी सर्वव्यापकता को प्रभावशाली बनाने के लिए विज्ञान ने प्रकृति के सभी स्वरूपों को प्रभावित किया है। आज विज्ञान का ही प्रभाव है कि आकाश और पताल के गूढ़ रहस्य आज एक-एक करके खुलते जा रहे हैं। जीवन को गति देने वाला पहिया विज्ञान कि ही देन है जिसके कारण मोटर का आविष्कार संभव हो पाया जिसने जल, नभ एवं धरती पर समस्त क्षेत्रों में अपना एकाधिकार बना लिया है । इसके लिए इसने विभिन्न जलयान हवाई यान रेल गाड़िया से लेकर अन्य चीजों की खोज करके अपने ज्ञान की अपार वृद्धि कर ली है। इसी तरह कई प्रकार की संचार अनुसंधान सहित कई सुविधाओं को अर्जित करके अपने कौशल का परिचय दिया। पृथ्वी पर विज्ञान की धूम मचने का कहना ही क्या। बिजली के आविष्कार ने विज्ञान को सर्वाधिक गति और उसकी अन्य क्षमताओं का आकर्षक परिचय दिया है। विद्युत का आविष्कार की सहायता से पलक झपकते ही हम बहुत दूर निकल जाते हैं। सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करने में हमें कुछ ही समय लगते घर बैठे-बैठे हम असाधारण और असम्भव-सा लगने वाला काम आनन-फानन में पूरा कर लेते हैं। इस दृष्टि से बिजली का आविष्कार आज विज्ञान का एक ऐसा आविष्कार है, जिसके बिना हम निष्प्राण हो सकते हैं। इसके बिना हमारा कोई कार्य पूरी तरह से न संपादित हो सकता है और न उसके अगले कदम की परिकल्पना ही कि जा सकती है। यही कारण है। आज विज्ञान द्वारा मचाई जा रही धूम का सर्वाधिक आधार बिजली ही है। इस क्षेत्र में यू तो कई महान व्यक्तियों ने अपना योगदान दिया परन्तु कुछ आविष्कारक ने इस



क्षेत्र में क्रांति ला दी जेसे *थॉमस एडिसन ,माइकल फेराडे ,चार्ल्स बेबेज ,ग्राहम बेल ,राइट बंधू, मार्टिन कूपर ,अलेक्सेंडर फ्लेमिंग, अलबर्ट आइन्स्टीन, न्यूटन ,निकोला टेस्ला, सी.वी रमन* आदि

आइये अब जानते है कि कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विज्ञान के योगदान

मनोरंजन के क्षेत्र में विज्ञान मनोरंजन के क्षेत्र में विज्ञान सचमुच में वरदान सिद्ध हुआ है। उसने हमारे लिए अपेक्षित मनोरंजन के साधनों को उपलब्ध कराया संचार के क्षेत्र में ऑनलाइन न्यूजपेपर, ऑनलाइन न्यूजसाइट पर एक क्लिक पर खबरों का संसार मौजूद है। वैश्वीकरण के इस दौर में दुनिया के हर कोने की खबर हम अपने मोबाइल की एक बटन दबाते ही जान लेते हैं। फेसबुक, ट्विटर, वाट्सऐप के सहारे चाहे हम अपने सगे संबंधियों से कितने ही दूर क्यों न हों। पर इन सबके माध्यम से अब हम उनसे 24 घंटे जुड़े रह सकते हैं।

चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान विज्ञान ने चिकित्सा व्यवस्था में बहुत प्रगति कर ली है। पिछले सालों से लाइलाज बीमारी मानी जा रही एड्स पर भी वैज्ञानिकों ने धीरे-धीरे पकड़ बनाना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि नई चिकित्सा पद्धति के चलते अब एड्स की पकड़ कमजोर पड़ने लगी है। और माना जा रहा है कि निकट भविष्य में इस जानलेवा बीमारी का जड़ से खात्मा हो जाएगा। एक्स-रे के द्वारा शरीर के भीतर सूक्ष्म रोगों का दर्शन बड़ी आसानी से हो जाता है आज के विज्ञान ने प्राणघातक असाध्य रोगों को भी साध्य बना करके हमारे जीवन को पूर्णतारु स्वस्थ रहने में योगदान प्रदान किये है।

परिवहन के क्षेत्र में विज्ञान आज विज्ञान ने परिवहन के क्षेत्र में प्रतिदिन तरक्की कर रहा है , भाप इंजन कि ट्रेन से बुलेट ट्रेन , हवाई जहाज कि नवीनतम श्रेणिया या फिर सड़क परिवहन में आ रही क्रांति से विज्ञान ने अपने प्रभाव को फैला दिया है। आज विज्ञान के द्वारा मनुष्य कुछ ही समय मे हजारों किलोमीटर की दूरी तय करते रेलगाड़ी, हवाई, जहाज, हेलीकॉप्टर आदि विज्ञान की अदभुत देन है। सवारी वाहन के अलावा अन्य परिवहन जेसे मालवाहक परिवहन को सुगम एवं तीव्र करने में भी विज्ञान का योगदान अतुलनीय है, आज बड़े-बड़े मालवाहक वाहन हमारी जरूरतों कि बस्तुओं को एक स्थान से दुसरे स्थान तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभा रहे है जोकि जीवन को सरल करने में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहा है ।



शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार में विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विज्ञान के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत कार्य किए गए हैं। टेलीविजन, रेडियो, सिनेमा तथा कंप्यूटर ने शिक्षा को सरल बनाया है। प्रेस तथा समाचार पत्र छात्रों के ज्ञान वृद्धि का अद्भुत साधन है। छापखाने के आविष्कार ने पुस्तकों के प्रकाशन द्वारा ज्ञान के नए आयाम स्थापित किए हैं। आज कंप्यूटर शिक्षा का अभिन्न अंग बन गया है।

कृषि के क्षेत्र में आज कृषि के क्षेत्र में विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका है हमारा देश कृषि प्रधान देश है जहां देश की अधिकतम जी.डी.पी इसी क्षेत्र से आती है, इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की मशीनें जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, जल मोटर, आदि आवश्यक उपकरण का आविष्कार हुआ है जोकि कृषि को और भी सुगम एवं सफल रोजगार बनाने में मदद कर रहे हैं।

आज विज्ञान सचमुच में हमारे जीवन के लिए एक अपूर्व और अद्भुत वरदान सिद्ध हो रहा है। आधुनिक युग में विज्ञान के क्षेत्र में होने वाले नवीन आविष्कार ने सारे संसार में क्रांति ला दी है। विज्ञान के अभाव में मनुष्य जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। विज्ञान की सहायता से मानव प्रकृति और अंतरिक्ष दोनों पर विजय प्राप्त करता जा रहा है। आज से कुछ वर्ष पूर्व विज्ञान का आविष्कार पर चर्चा मात्र से ही लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। किंतु आज वही आविष्कार मनुष्य के दैनिक जीवन के अंग बन गए हैं यह वास्तव में मनुष्य द्वारा उत्पन्न किया गया मनुष्य के लिए महावरदान स्वरूप हमारी सम्पूर्ण सृष्टि को प्रभावित कर रहा है। भविष्य में भी यह महावरदान स्वरूप सिद्ध होता रहे, इसके लिए यह नितान्त आवश्यक है। कि इसके कल्याणकारी पक्ष को ही अपने जीवन में उतारते चले। जहां और जैसे ही हम इस विनाशकारी और विध्वंसक रूप से लापरवाह और अनजान होंगे, वही और वैसे ही यह हमारा विज्ञान हमें विनाश की ओर ढकेल देगा। प्रभाव से हम पलक झपकते ही न जाने कितनी ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। बिजली वास्तव में हमारे लिए 'अलादीन का चिराग' सिद्ध हो रही है। यह बिजली का ही चमत्कार है कि केवल हम बटन दबाकर अपनी इच्छानुसार अपने कार्यों को पूरा कर डालते हैं। इस दृष्टि से यह कहना किसी प्रकार से असंगत नहीं होगा कि बिजली विज्ञान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है।

आज मनुष्य जीवन में जहां एक ओर विज्ञान ने जीवन सरल किया है वही दूसरी ओर कुछ गलत नियत के साथ किये गये आविष्कारों ने इसी जीवन को नष्ट करने के लिए पूरी योजना भी बनाई है, उदाहरण स्वरूप एक ओर जहां मोबाइल हमारी आवश्यकता बन गया है वही इसके खतरनाक परिणाम भी सामने आ रहे हैं छोटे बच्चों में अब यह आदत अपने घातक स्वरूप में आ गयी है विज्ञान द्वारा रक्षा क्षेत्र में किये गये आविष्कार आज हमारे दुनिया के लिए घातक सिद्ध हो रहे हैं हमें यह सिखलाया गया है कि **अविष्कार आवश्यकता कि जननी होती है** परन्तु आधुनिक विज्ञान के चमत्कारी आविष्कार अपने अंदर निर्माण व विनाश दोनों ही प्रकार की शक्तियां संजोए हुए हैं। वैज्ञानिक आविष्कार और उसकी अपारशक्ति हमारे लिए कल्याणकारी है तो दूसरी ओर विनाश का कारण भी। विज्ञान तो एक शक्ति है जिसका उपयोग अच्छे और बुरे दोनों तरह के कामों के लिए किया जा सकता है। यदि मनुष्य विचारशील और विवेकशील होकर विज्ञान के चमत्कारों का प्रयोग करेगा तो यह संसार सुख और समृद्धि की राह पर आसानी से बढ़ सकेगा। विज्ञान का बढ़ते प्रभाव पर अब खुस होने के साथ ही सतर्कता भी आवश्यक है, विज्ञान तब तक ही हमारा साथ देगा जब तक हम इसे अपनी आवश्यकताओं में उपयोग करेंगे, विज्ञान का विलासिता में उपयोग उतना ही घातक है जितना किसी भी प्रकार कि अति

"विज्ञान को विज्ञान तभी कह सकते हैं जब वह शरीर, मन और आत्मा की भूख मिटने की पूरी ताकत रखता हो"
महात्मा गाँधी

शिव कुमार सिंह,
प्रोग्रामर



मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 तथा पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (2001) की विशेषताएँ

- 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप पंचायत राज व्यवस्था को प्रदेश में लागू करने वाला प्रथम राज्य है।
- प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था प्रभावशील है। जिला स्तर पर जिला पंचायत, विकास खण्ड स्तर पर जनपद पंचायत एवं ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान है।
- पंचायतों का कार्यकाल उनके प्रथम सम्मेलन दिनांक से आगामी पाँच वर्ष का होगा।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को उनकी प्रदेश में जनसंख्या के मान से पदों के आरक्षण की व्यवस्था है।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आधे से कम पदों के आरक्षण होने पर अन्य पिछड़े वर्ग के लिये 25 प्रतिशत स्थानों का आरक्षण का प्रावधान है।
- तीनों स्तर की पंचायतों के कुल पदों में से आधे स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है।
- अन्य पिछड़े वर्ग एवं महिलाओं के पदों का आरक्षण चक्रानुक्रम से किये जाने का प्रावधान है।
- अध्यक्ष जिला एवं जनपद पंचायत एवं सरपंच ग्राम पंचायत के पदों का आरक्षण चक्रानुक्रम से किये जाने का प्रावधान है।
- अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिये विशिष्ट उपबन्ध अधिनियम 1996 के प्रावधानों को प्रदेश के पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम में समाहित करने हेतु संशोधन किया जाकर इस अधिनियम के प्रावधान जोड़े गये हैं।
- अनुसूचित क्षेत्र की सभी पंचायतों के प्रमुख के स्थान अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये आरक्षित किए गये हैं।
- अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा की सम्मेलन की अध्यक्षता सरपंच, उपसरपंच या पंच द्वारा न की जाकर सम्मेलन में उपस्थित सदस्यों द्वारा नामांकित व्यक्ति द्वारा अध्यक्षता किए जाने का प्रावधान किया गया है।
- अनुसूचित क्षेत्र की पंचायतों में व्यक्तियों की परम्पराओं तथा रूढ़ियों, उनकी सांस्कृतिक पहचान और सामुदायिक साधनों को तथा विवादों के निराकरण के रूढ़िगत ढंग को सुरक्षित तथा संरक्षित करने का प्रावधान किया गया है।



- ग्राम के क्षेत्र के भीतर के प्राकृतिक स्रोतों को, जिनके अर्न्तगत भूमि, जल तथा वन आते हैं उसकी परम्परा के अनुसार और संविधान के उपबन्धों के अनुरूप और तत्समय प्रवृत्त अन्य सुसंगत विधियों की भावना का सम्यक् ध्यान रखते हुए प्रबन्ध करने का प्रावधान है ।
- अनुसूचित क्षेत्र में स्थानीय योजनाओं पर, जिनमें जनजातीय उप-योजनाएँ सम्मिलित हैं तथा ऐसी योजनाओं के लिये स्रोतों और व्ययों पर नियंत्रण रखने का प्रावधान है ।
- प्रदेश में 73वें संविधान संशोधन के प्रावधान अनुसार राज्य वित्त आयोग का गठन एवं राज्य वित्त आयोग की अनुशंसायें लागू की जाकर उनकी अनुशंसा के अनुरूप पंचायतों को राशि उपलब्ध कराई जा रही है ।
- संविधान के अनुच्छेद 243 (छ) के अर्न्तगत 11वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों से संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में संचालित कार्यक्रम/योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी पंचायत राज संस्थाओं को हस्तान्तरित किए गये हैं ।
- राज्य के 23 विभागों की ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित योजनाओं के कार्यक्रम का पंचायत राज संस्थाओं को हस्तान्तरण किया गया है ।
- योजनाएँ/कार्यक्रम जो पंचायतराज संस्थाओं को हस्तान्तरित किये गये हैं से संबंधित बजट एवं अमला भी सौपा गया है ।
- ग्रामीण क्षेत्र में पदस्थ कर्मचारी एवं अधिकारी जिसका कार्यक्षेत्र ग्राम सभा क्षेत्र तक सीमित है का नियंत्रण ग्राम सभा को सौपा गया है । धारा 7 ट ।
- ग्रामसभा को गाँव की मूलभूत आवश्यकता से संबंधित 52 तरह के कार्यों के निष्पादन की जिम्मेदारी सौपी गई है ।

नीलेश कुमार राय
संकाय सदस्य



हार्टफुलनेस सेन्टर हैदराबाद का भ्रमण

महिला एवं बाल विकास विभाग के तरफ से एक अध्ययन दल ने दिनांक 26 नवंबर से 30 नवंबर 2019 तक हार्टफुलनेस एजुकेशन ट्रस्ट हैदराबाद में आयोजित गतिविधियों के अध्ययन हेतु भेजा गया जिसका मुख्य उद्देश्य था कि संस्था द्वारा किये गये आंगनवाड़ी हस्तक्षेप से प्रत्येक गांव को जोड़ना ताकि एक समग्र शिक्षा प्रणाली के माध्यम से दिल और दिमाग की एक नई पीढ़ी का निर्माण करना ताकि एक विकसित मानव सभ्यता की शुरुआत की जा सके इसके लिये संस्था द्वारा महबूब नगर में आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से दिव्य जननी योजना का संचालन किया जा रहा है जिसके अर्न्तगत महबूब नगर के 101 आंगनवाड़ी केन्द्रों का चयन किया गया । समुदाय के लोगो को जागरूक करने के लिये पंचायत सदस्य , स्वास्थ्य विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग के सभी स्तर के कार्यकर्ताओं का उन्मुखी करण किया गया ताकि वे करुणा एवं दक्षता के साथ एक नई पीढ़ी का निर्माण करने में सक्षम हो सके । कार्यक्रम की गुणवत्ता बनी रहे इसके लिये महबूबनगर के कलेक्टर श्री रोनाल्ड रास(IAS) स्वयं इस कार्यक्रम की निगरानी कर रहे हैं। संस्थान की तरफ से श्रीमती

अर्चना कुलश्रेष्ठ संकाय सदस्य इस अध्ययन दल की सदस्य थी।

अध्ययन दल के सभी सदस्य प्रातः 5 बजे योगा कक्ष में गये जहां हमने विभिन्न योग अभ्यास के द्वारा शरीर एवं मन को व्यवस्थित रख जा सकता है ये सीखा, तत्पश्चात 7 बजे अध्ययन दल के 4 सदस्य को 4 मेडीटेशन मास्टर के साथ अलग अलग बिठाया गया और यागिक प्राण आहुति



के माध्यम से 3 बैठकों द्वारा ध्यान करने में सक्षम बनाया गया प्रातः 9:30 पर औपचारिक सत्र का प्रारम्भ किया गया जिसमें बताया गया कि सीखने के लिये हृदय आधारित दृष्टिकोण में विश्राम ध्यान एवं मन को विनयमित करके अपनी आन्तरिक शक्ति और दृष्टिकोण के निर्माण के लिये यह एक सरल एवं प्रभावी विधि है जो पूरी मानवता के लिये स्थाई एवं सम्पूर्ण कल्याण की भावना पैदा करती है। श्री रामकृष्ण मलैया जो कि संस्था में ब्राइटर् माइन्ड कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं उन्होंने बताया कि हमारे जीवन में हार्ट एण्ड ब्रेन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है जब दोनों का संतुलन होता है तो हमें बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं फलस्वरूप हमारी कार्यप्रणाली तनाव रहित एवं प्रेम-मय हो जाती है हम परानुभूति के स्तर पर कार्य करते हैं तथा हमारी चेतना का विस्तार होता है।



हार्टफुलनेस एजुकेशन सेन्टर की एप्रोच

हार्टफुलनेस एजुकेशन सर्विस के बारे में	प्रशिक्षण की मैपिंग	कैप्सूल कौर्स
1, समुदाय में आई0सी0डी0एस0 के उद्देश्य को ही आधार बनाया है। 2, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। 3, योग एवं ध्यान के साथ एकीकृत कार्यक्रम है 4, हार्टफुल क्षमता निर्माण 5, आंगनवाड़ी केन्द्र के लिये टूल किट तैयार किया गया है।	1, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का प्रशिक्षण 2, प्रारम्भिक बाल्यावस्था में देखभाल एवं विकास 3, गर्भवती महिला की देखभाल 4, स्तनपान कराने वाली महिला की विशेष देखभाल 5, किशोरी बालिका 6 स्वास्थ्य एवं पोषण	1, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का मानसिक विकास 2, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का स्व विकास 3, बाल/किशोरी विकास 4, माताओं की देखभाल 5, स्वास्थ्य एवं पोषण



1000 दिवस तक बच्चों की देखभाल एवं विकास के लिये महबूब नगर में क्रियान्वित दिव्य जननी माड्यूल पर डा० सिरीशा (कार्डियोलिजिस्ट) के द्वारा विस्तृत चर्चा की गई उन्होंने बताया कि गर्भावस्था के दौरान बच्चों के विकास में संवेगों का प्रभाव एवं उसकी अमिट छाप जीवन पर्यन्त बनी रहती है इस दौरान गर्भवती महिलाओं एवं उनके परिवार के सदस्यों को तथा समुदाय के लोगों में जागरूकता लाना बेहद जरूरी है ताकि मां के प्रति सभी संवेदनशील हो सकें। उन्होंने कहा कि हमें आंगनवाड़ी केन्द्रों को **wellness center** के रूप में विकसित करना होगा प्रख्यात वैज्ञानिक अल्वर्ट आइस्टीन का कथन है कि खुद में शान्त हुये बिना विश्व शान्ति नहीं हो सकती जिसके लिये ध्यान ही परिष्कृत हो जाते हैं। दिव्य जननी योजना में मुख्य

एकमात्र उपाय है मेडीटेशन से हमारे द्वारा किये गये कार्य रूप से **heartfulness** को ही आधार बनाया गया। महिला एवं बाल विकास एवं स्वास्थ्य विभाग के सभी स्तर के कर्मचारियों को ध्यान की तकनीकों के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ध्यान की इस प्रणाली के साथ एक्सपोज किया गया और पाया कि यह उनके कार्य मंच में समान अवसर पैदा करने में सक्षम हुआ और उन्होंने अपने नियमित काम के तरीकों के साथ साथ हार्टफुलनेस की अनूठी तकनीकों पर समुदाय में प्रशिक्षण दिया।

तनाव प्रबंधन की तकनीकों पर चर्चा की गई जिसमें एक अभ्यास कार्य कराया गया जिसमें हम सभी ने गुब्बारों को



फुलाया और अनुभव के स्तर पर ये समझाया गया कि प्रत्येक व्यक्ति की कार्यक्षमता अलग अलग होती है हमें अपनी क्षमताओं की सीमा का निर्धारण करके कार्यक्रम का नियोजन करना चाहिये अन्यथा तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। साथ में ये भी अनुभव किया कि तनाव उस सीमा तक जरूरी है जब तक कि उसे बतौर प्रेरणा स्रोत उपयोग किया जाय।

कार्यकारी सारांश (हार्टफुलनेस वर्कशाप)

- कान्हा शान्ति वनम ,चेगुर जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय योग /ध्यान केन्द्र है उस में 3 दिवसीय आवासीय महबूबनगर के 101 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने 15 से 17 अगस्त ,2018 तक हार्टफुलनेस एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा संचालित हार्टफुलनेस एजुकेशन कार्यशाला में भाग लिया
- आईसीडीएस के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुये प्रशिक्षण को डिजाइन किया गया प्रशिक्षण सामग्री व्यस्क शिक्षण सिद्धान्तों , वीडियो एवं गतिविधि आधारित सीखने के सिद्धान्तों पर आधारित थी ।
- जिला प्रशासन द्वारा प्रायोजित और महबूब नगर के जिला महिला अधिकारी के नेतृत्व में कार्यक्रम का व्यय किया गया जो कि परियोजना अधिकारी एवं सुपरवाइजर , आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का सामूहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम था ।
- प्रशिक्षण से पूर्व एवं पश्चात मूल्यांकन द्वारा प्रशिक्षण की गुणवत्ता एवं प्रभावशीलता को मापा गया ।
- सेल्फ अवेयरनेस /सेल्फ असिसमेंट टूल्स पर विस्तृत जानकारी दी गई।
- प्रतिभागियों ने अपनी कार्ययोजना में तनाव / क्रोध को संभालने के लिये मेडीटेशन की आवश्यकता , गहन मानवीय आध्यात्मिक मूल्यों के साथ अपने काम एवं ज्ञान को सुधारने के लिये हार्टफुलनेस वातावरण बनाने की आवश्यकता को समझा।

महबूब नगर आईसीडीएस परियोजना के अवलोकनार्थ भ्रमण

सर्व प्रथम भूतपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्वास्थ्य विभाग एवं महिला बाल विकास के सभी स्तर के कर्मचारी के साथ सभाकक्ष में एकत्रित हुये जहां दिव्य जननी के क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा की । उन्होने बताया कि यहां मातृ मृत्यु दर एवं बाल मृत्यु दर अधिक है इस लिये इस योजना के क्रियान्वयन का मुख्य उद्देश्य इसमें कमी लाना है। चर्चा के मुख्य बिन्दु निम्नतः थे

1, प्रथम माड्यूल के क्रियान्वयन के उपरान्त अच्छे परिणाम सामने आने लगे Target cupple से सम्पर्क किया गया और परिणाम कुछ इस प्रकार रहे –

- महिलाओं ने फौलिक एसिड की गोली का सेवन प्रारम्भ कर दिया परिणाम स्वरूप हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ गया
- गर्भ निरोधक का प्रयोग बढ़ गया
- हाईरिस्क प्रगनेन्सी की संख्या में कमी आई
- गर्भावस्था में शीघ्र पंजीयन का



प्रतिशत जो पूर्व में 28 प्रतिशत था वो बढ़ कर 80 प्रतिशत हो गया

- समुदाय स्तर पर जोर शोर से प्रत्येक बुधवार को वीएचएनडी का आयोजन उत्साहपूर्वक होने लगा जबकि पूर्व में ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि की भूमिका नगण्य थी
- टीकाकरण का प्रतिशत बढ़ कर 94 प्रतिशत हो गया और जिले को पुरस्कार के लिये चुना गया

2, गृहभेंट द्वारा हितग्राहियों एवं उनके परिवार के सदस्यों से 1600 घरों में जाकर उन्हें समझाइश देकर प्रशिक्षित किया गया

3, एमएसडब्लू के छात्रों एवं सुपरवाइजर द्वारा इसमें सहयोग एवं सतत निगरानी की जा रही हैं

4, हर 15 दिन में सुपरवाइजर द्वारा मानीटरिंग की जा रही है।

5, डिजिटल टेक्नोलॉजी के उपयोग से जागरूकता का प्रयास किया जा रहा है।

6, यहाँ मीडिया द्वारा सकारात्मक सहयोग किया जा रहा है

7, प्रत्येक माड्यूल पर 50-50 के ग्रुप में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं एएनएम को प्रशिक्षित किया जा रहा है।



8, हाईरिस्क सैम मैम बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। निरन्तर अण्डों की आपूर्ति बनी रहती है।

9, दिव्यजननी कार्यक्रम में परिवार को शामिल करते हुये विशेष रूप से पिता को जागरूक किया गया

माड्यूल के प्रभाव को जानने के लिये हितग्राहियों से बैठक के माध्यम से बातचीत की गई ।

फरीदा बेगम ने बताया पहले मुझे सास की बातें बहुत बुरी लगती थीं पर जब हार्टफुलनेस के साथ जुड़ी तो मैंने सोचा कि कि अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान होगा तो मैंने उस तरफ ध्यान देना बन्द कर दिया क्योंकि मैं रोज आंगनवाड़ी में पोषण आहार लेने आती थी तो यहां ध्यान के सत्र में भाग लेती थी

सरपंच श्रीमती पानजा ने बताया कि मैं घर पर भी एवं पंचायत भवन में भी रिलेक्सेशन के सत्र आयोजित कराती हूँ और इस बात को सुनिश्चित करती हूँ कि गांव की हर गर्भवती एवं धात्री मां केन्द्र में ही आकर खाना खाएँ क्योंकि खाने के साथ साथ ध्यान के सत्र में भी वो भाग लेती हैं ।



गृह भेंट के दौरान कौतुमुल्वगी गांव की गर्भवती महिला चेतन्या जिसका आठवां माह चल रहा है और पहला बच्चा 3 साल का है उसने बताया कि रिलेक्सेशन एवं ध्यान के कारण अब मैं तनाव मुक्त रहती हूँ तथा अपने परिवार और बच्चों की बेहतर देखभाल कर पा रही हूँ। केन्द्र में एक गिलास दूध (200 ग्राम) एवं एक अण्डा मैं केन्द्र में प्रतिदिन खाती हूँ तथा ध्यान करके तनाव मुक्त रहती हूँ। रिलेक्सेशन से मेरे अन्दर के नकारात्मक विचार निकल जाते हैं।



अन्त में अध्ययन दल के साथ साथ डा0 के0 कृष्णा डीएमओ एवं डा0 शंकरर्चाया, डा0 सिरीशा तथा आईसीडीएस एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ महबूवनगर के कलेक्टर श्री रोनाल्ड रास(IAS) से भेंट की तथा पिछले तीन दिवस की गतिविधियों की प्रस्तुति दी। श्री रोनाल्ड रास जी ने बताया कि उन्होंने कैसे टीम बना कर कार्य किया पूर्व में सभी विभाग अलग अलग कार्य करते थे परन्तु उनके प्रयास से कान्हा वनम हार्टफुलनेस सेन्टर में सभी के लिये 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसका बेहतर परिणाम आज महबूब नगर में दिख रहा है।

निष्कर्ष –

1, heartfulness हृदय में सकारात्मक भावों को प्रेरित कर अपने भावनात्मक स्वास्थ्य, सोच, व्यवहार और कार्य प्रणाली को सकारात्मक और प्रभावशील बनाने का एक व्यवहारिक तरीका है। इस बात का प्रमाण हमने अपने अध्ययन के दौरान कई बार देखा एवं अनुभव किया गया।

2, प्रशिक्षण में सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत समुचित जानकारी और कौशल तो उन तक पहुंचा पाना संभव हो पाता है परन्तु नजरिये, व्यवहार, कार्यप्रणाली और जीवन शैली में परिवर्तन ला पाना हमेशा से एक चुनौती रहा है।

heartfulness इस पहलू को मजबूत कर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को और अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं साथ ही कार्यकर्ताओं एवं हितग्राहियों के भावनात्मक स्वास्थ्य को सुनिश्चित कर सामाजिक बदलाव की एक सकारात्मक पहल बन सकता है।



श्रीमती अर्चना कुलश्रेष्ठ,
संकाय सदस्य



जनपद स्तरीय मास्टर रिसोर्स परसन ने शुरुआत की नशीले पदार्थों के रोकथाम के लिये प्रयास



जनपद स्तरीय मास्टर रिसोर्स परसन ने नशीले पदार्थों के रोकथाम के विषय पर प्रशिक्षण लेने के बाद अपना ग्राम पंचायत में अपने प्रयास से महिला समूह की बैठक ग्राम रैली एवं शालाओं में संगोष्ठी कर नशीले पदार्थों के रोकथाम अर्थात नशा मुक्ती में कार्य करना प्रारंभ किया इसकी शुरुआत अमरवाडा जनपद पंचायत अमरवाडा जिला छिंदवाडा के एमआरपी राजेश तिवारी ने स्कूल संगोष्ठी में भाग लेकर योगा के माध्यम से कैसे हम नशे से दूर रहे श्रीमती रूकमणी सनोडिया एमआरपी जनपद पंचायत सिवनी जिला सिवनी

ने ग्राम सिमरिया में रैली निकालकर ग्राम वासियों को नशे से दूर रहे ग्रामवासियों जागरूक किया एमआरपी श्रीमती सरिता यादव ग्राम कुंडा जनपद पंचायत चौरई जिला छिंदवाडा में महिलाओं को एकात्रित कर नशा मुक्ती हेतु समस्त जानकारी देकर नशे से दूर रहने की सलाह दी। **एमआरपी सुवर्णा ठाकुर सौंसर** जनपद पंचायत सौंसर जिला छिंदवाडा ने एसएचजी ग्राम संगठन में नशामुक्ति संबंधित विषय पर महिलाओं को नशे पदार्थों के रोकथाम हेतु कदम उठाने पर चर्चा पर प्रशिक्षण लेने के बाद प्रशिक्षण में दी गयी सीख को ग्राम में अमल में लाने का प्रयास किया प्रशिक्षण का उद्देश्य सफल हो इसकी शुरुआत है।

नशीले पदार्थों के रोकथाम विषय पर क्षमतावर्धन प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् एमआरपी ने समाजिक कार्यकर्ता की भूमिका में ग्रामवासियों को नशे से दूर रहकर हम अपने कैसे शरीर को बचाये एवं अर्थिक स्थिति सुदृढ़ करें यह कार्य ग्राम रैली संगोष्ठी समूह बैठक में संदेश देकर दिये गये प्रशिक्षण के उद्देश्य को एमआरपी ने सार्थक किये है यह प्रयास श्री संजय कुमार सराफ संचालक महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान जबलपुर के मार्गदर्शन पर चलकर जनपद स्तरीय मास्टर रिसोर्स परसन ने पंचायतराज व्यवस्था सशक्त बनाने पर सराहनीय पहल है।

सी.के. चौबे,
संकाय सदस्य



पंचायतराज व्यवस्था के कार्यान्वयकों के लिए “नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम” विषय पर एक दिवसीय जागरुकता कार्यक्रम/क्षमतावर्धन कार्यशाला



क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्र ग्वालियर में दिनांक 25.11.2019 को “नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम विषय” पर एक दिवसीय जागरुकता कार्यक्रम/क्षमतावर्धन कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में ग्वालियर जिले की जनपद पंचायत

मुरार/घाटीगांव/डबरा/भितरवार के कुल 40 प्रतिभागी उपस्थित हुए इनमें 2-सरपंच, 6-ए.डी.ई.ओ./ 3-पी.सी.ओ., 5-सचिव, 1-ग्राम रोजगार सहायक, 6-एन.वाय.के. कार्यकर्ता, 11-एस.एच.जी. के सदस्य कुल-40 प्रतिभागी उपस्थित हुए। जनपदवार उपस्थिति - मुरार-12, घाटीगांव-10, डबरा-14, भितरवार - 4 कुल 40 प्रतिभागी उपस्थित हुए। उक्त कार्यशाला भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान, नई दिल्ली द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्र ग्वालियर में आयोजित की गई। कार्यशाला आयोजन में महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान, आधारताल का विशेष सहयोग रहा।

इस एक दिवसीय कार्यशाला में नशीले पदार्थों का दुरुपयोग, कारण एवं प्रभाव, नशीले पदार्थों के प्रकार, प्रतीक एवं लक्षण, नशीले पदार्थों एवं अल्कोहल के प्रभाव, नशीले पदार्थों का दुरुपयोग का उपचार एवं सामान्य जीवन के लिए व्यवहार में बदलाव, निवारक उपाय शासन के हस्तक्षेप एवं वैधानिक प्रावधान, एन.डी.पी. एस. एक्ट 1985, नेशनल टोल फ्री नम्बर, हेल्प लाईन जैसे मुद्दों पर जानकारी दी



गई, साथ ही अन्य जुड़े मुद्दों एवं विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। इस क्षेत्र में घाटीगांव जनपद पंचायत के सरपंच श्री अजमेर सिंह यादव एवं मुरार जनपद पंचायत के सरपंच श्री आशाराम विशेष रुचि से कार्य कर रहे हैं।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सी.एम.ओ.) ग्वालियर से नोडल अधिकारी डॉ. आलोक पुरोहित, (जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ, ग्वालियर) द्वारा तम्बाकू एवं धुम्रपान से होने वाली बीमारियों एवं नुकसान के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार ने सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 (कोटपा) नामक एक राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम बनाया है।

इस अधिनियम की धारा 4, 5, 6, 7, 8, 9 पर विस्तार से चर्चा की गई जिसमें सार्वजनिक स्थानों/विद्यालय परिसर इत्यादि स्थानों में धुमपान पर प्रतिबंध, सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध बिना विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों के सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध इत्यादि शामिल है। चर्चा में भाग लेते हुए प्रतिभागियों ने कहा कि नशीले पदार्थों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए।

श्री अतुल त्रिवेदी, संभागीय समन्वयक (एस.बी.एम) आयुक्त कार्यालय ग्वालियर द्वारा नशीले पदार्थों का दुरुपयोग, कारण एवं प्रभाव, नशीले पदार्थों के प्रकार, प्रतीक एवं लक्षण, नशीले पदार्थों एवं अल्कोहल के प्रभाव इत्यादि पर विस्तार से चर्चा करते हुए बताया कि नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के अनेक कारण हैं, जिनसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक व्यवस्थाओं पर इनका विपरीत प्रभाव पड़ता है। नशीले पदार्थों के अनेक प्रकार होते हैं जिनमें गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, शराब, गांजा, भांग, हेरोइन स्मैक जैसे अनेक प्रकार हैं, जिनके



सेवन का मानव शरीर पर बहुत अधिक घातक प्रभाव पड़ता है, परिणाम स्वरूप अनेक बीमारियां हो जाती हैं, जिनमें लकवा लगना, कैंसर, टी.बी. इत्यादि बीमारियां प्रमुख हैं। मानव के फैंफड़े भी गल जाते हैं, परिवार में झगड़े आपसी मन-मुटाव और आत्महत्या जैसे मामले भी बहुत ज्यादा होते हैं, नशा करके वाहन चलाने से अनेक दुर्घटनाएँ होती हैं, जिसमें जान भी चली जाती है।

इस संबंध में एक वीडियो फिल्म भी दिखाई गई, जिसमें नशे के दुष्परिणामों का कारण, होने वाली हानियों को दिखाया गया था। एक युवक जिसकी उम्र 24 वर्ष है, नशे की लत के कारण वह आज अनेक बीमारियों से ग्रसित है और 70 वर्ष का दिखाई देता है।

श्री संजय जोशी, संकाय सदस्य ने नशे की लत के निवारण, उपाय शासन के हस्तक्षेप एवं वैधानिक प्रावधान, एन.डी.पी.एस एक्ट 1985, ड्रग हेल्पलाईन, टोल फ्री इत्यादि के बारे में जानकारी देते हुए इसके अन्तर्गत होने वाले अपराध, दण्ड प्रक्रिया एवं अधिनियम की धाराओं को विस्तार से बताया।

अपराध	दण्ड	अधिनियम की धारा
लाइसेंस के बिना अफीम, भांग या कोका पौधों की खेती	10 साल के सश्रम कारावास की सजा एवं 1 लाख रुपये तक जुर्माना	अफीम-18(ग) कैनविस-20 कोका-14
लाइसेंसी किसान द्वारा अफीम का गठन	सश्रम कारावास 10-12 साल, 1-2 लाख रुपये तक जुर्माना	19
नियंत्रित पदार्थों से संबंधित उल्लंघन (व्यापारियों द्वारा)	सश्रम कारावास- 10 साल, 1-2 लाख रुपये तक जुर्माना	25-ए
फाइनेंसिंग यातायात और अपराधियों को शरण देना	सश्रम कारावास 10 से 20 वर्ष एवं 1-2 लाख रुपये तक जुर्माना	27-ए

उपरोक्तानुसार इन प्रावधानों को विस्तारपूर्वक बताया गया।

ग्रामीण क्षेत्रों में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग रोकथाम एवं नियंत्रण में पंचायतीराज संस्थाओं के कार्यान्वयकों की भूमिका की चर्चा करते हुए श्री अशोक शर्मा, पूर्व प्रबंधक (पी.एन.बी.) / जिला समन्वयक ने कहा कि जागरूकता अभियान एवं प्रचार-प्रसार के माध्यम से जनता को नशीले पदार्थों की रोकथाम के बारे में बताना चाहिए, इस हेतु नुक्कड़ नाटक, रैली, दीवार लेखन, ग्रामसभा, महिला सभा एवं एस.एच.जी. के माध्यम से जागरूकता लाने का कार्य करना चाहिए, इस अवसर पर प्रतिभागियों द्वारा भी अपने विचार व्यक्त किये, श्री संजय जोशी ने “नशे को मिटाना है, देश को बचाना है, नया भारत बनाना” नामक कविता के माध्यम से नशामुक्ति का संदेश दिया। इस अवसर पर दो लघु फिल्मों भी प्रतिभागियों को दिखाई गईं। प्रारंभ में प्राचार्य श्री शकील कुरैशी द्वारा दीप प्रज्ज्वलन एवं सरस्वती का पूजन कर कार्यशाला का विधिवत उद्घाटन किया इस अवसर पर सहायक संचालक श्रीमती वंदना गंगल, सत्र संचालक श्री संजय जोशी, संकाय सदस्य श्री के.एस. परमार, श्री काबिल सिंह, श्री राजकुमार मूंदड़ा, श्री रामदास कतरोलिया, श्री राजीव दुबे भी उपस्थित थे। अंतमें उपस्थित हुए प्रतिभागियों द्वारा नशामुक्ति हेतु शपथ ली गई। आभार प्रदर्शन के साथ कार्यशाला का समापन हुआ।

संजय जोशी,
संकाय सदस्य



नशा मुक्ति पर कविता

नशा = नाश



“नशे को मिटाना है”
नशे को मिटाना है,
देश को बचाना है
नशे को मिटाना है
नया भारत बनाना है...

नशे के प्रकार होते हैं अनेक
गांजा, चरस, हशीश उनमें से एक
ना छूएं इनको, ना छूने दे किसी को
बर्बादी न हो कोई, न कोई हो अपराधी
नशे को मिटाना है,
देश को बचाना है....

एक हाथ में पैसा, दूसरे में नशा है
पीता है, लड़खड़ाता है, गिरता है
अपना जमीर बेच रहा है
जीवन समाप्त कर रहा है
नशे को मिटाना है
देश को बचाना है....

तबाह होते शैशव को बचाना है
मिटती जवानी को बचाना है
घर-गृहस्ती को उपवन बनाना है
पति-पत्नी में सामंजस्य रखना है
नशे को मिटाना है
देश को बचाना है.....

परिवार-समाज को बचाना है
आत्महत्या को रोकना है
सुहागन का सिन्दूर बचाना है
ममता को अक्षुण्ण रखना है

नशे को मिटाना है
देश को बचाना है.....
अपराधों को कम करना है
फिजूल खर्ची भी रोकना है
स्वस्थ शरीर और मन रखना है
भय- मुक्त समाज बनाना है
नशे को मिटाना है
देश को बचाना है.....

छोड़ नशे को, रहे आनंद से
रहे ना कोई दुःख और क्लेश
मत करो बेकार ये जीवन
ऐसे हो संदेश सभी के
नशे को मिटाना है
देश को बचाना है...

जिंदगी को खुशियों से भरना है
नई रोशनी, नया उजाला फैलाना है
ना कोई भूखा, ना कोई प्यासा
ऐसा समाज बनाना है
नशे को मिटाना है
देश को बचाना है....

आओ नशामुक्त भारत बनाये
स्वयं जागे, दुसरो को जगाये
इसकी बुरी आदत के मारे सब
बातें ये हम सबको समझाए
नशे को मिटाना है
देश को बचाना है.....

आओ हम सभी करे प्रण
तबाही को रोके हम सब
समाज क्रांति के अग्रदूत बने हम
आओ मिलकर कदम बढ़ाए हम
नशे को मिटाना है
देश को बचाना है.....

नशे को मिटाना है
देश को बचाना है
नया भारत बनाना है ।

संजय जोशी,
संकाय सदस्य



मेरा गांव मेरा देश



आज हम अपने बीते दिनों की यादों को देश व देशवासियों से सांझा कर रहे हैं। जिसे हम अपने दिलों में वर्षों से रखे हुए है जब भोर मुड़े पर कौओं की कांव-काव और आंगन में गौरव्या की चहक से आँख खुलती थी मंदिरों से घंटों की आवाज एवं मस्जिदों से आज़ान की आवाज गरुद्वारे से गुरु कीर्तन की आवाज, चर्च से बाइबिल के विचार सुनाई देते थे। अखाड़ों में पहलवान कुस्ती के दावों-पेंच अजमाते थे। घरों से कच्चे दूध की बल्टियाँ पहुँच जाया करती थी हर बड़े बुजुर्ग की ख्यालिस रहती थी हमारा बेटा गांव में सबसे बली हो। गर्व से युवा कहता था— हम भारत के असली वीर हे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को शांति-प्रेम-भाईचारे के सूत्र में पिरोया था न कहीं आतंकवाद न नक्सलवाद। पन्दी अगस्त छब्बीस जनवरी पर लाउड-स्पीकारों से देशभक्ति के गीत मेरे देश की धरती सोना उगले-उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती.....। रेडियो पर दिल्ली परेड में शामिल फौजी जवानों के बेटों की आवाज हर व्यक्ति के सीने को फुला देती थी उसका हॉथ तिरंगे के सम्मान में स्वतः उठ जाता था प्रकृति के बीच खेत में हल चलाते किसान, कुओं पर रहट की आवाज खलिहानों में चलती दांये, व्याह-शादियों में सजे धजे ऊँट घोड़े बैलगाड़ियों में नहे घुघरू गले में पड़े बेलों की आवाज वेसन के मोटे सेव, खुर्मा, चना, ज्वार-मक्का आदि, सत्तू की महक, दूध-दही का शर्बत उफ....कितना मजा, पहाड़ों से बहता झरना, पानी से भरी नहरें, तालाब, नदियाँ कितना पावन स्वच्छ मीठा जल हर कोई पीने को आतुर— आसमान में कलरव करते विभिन्न पक्षियों का समूह, मंद-मंद मुस्कान बिखेरती हवा खेत व तालाब के घाटों में गुनगुनाती बालाये व महिलायें। एक दम हवा बदल गयी— न लोरी न कहानी सुनाने वाला न सुनने वाला न चौपालों में बैठके न सांझ को रामायण पाठ न सुबह रामधुन की फेरी सब तरफ खामोशी है उदासी है। भारतीय संस्कृति से दूर होते हमारे युवा मित्र विकसित देश के उन्माद ने इंसान-इंसान से नाता तोड़कर मशीनों कम्प्यूटर व मोबाइल में उलझा दिया। भाई बन्धु का प्रेम हो या रिश्तेनाते या पड़ोसियों से प्रेम पुराने दिना कितने अच्छे थे जिसे कोई लौटा सकता पत्रों से दिल की बातें होती थी, अपनत्व होता था खुशी व गम होता था और डाकियाँ भइया हमारा अभिन्न मित्र होता था। हार, गली, कुओं पर इंतजार करते थे बूढ़ी काकी, दादी बच्चे शहर से हमारे बेटे बहू का कुशल पत्र आया होगा मनआर्डर आया होगा। आज हमारे प्यारे देश ने हमें सब दिया। अन्न, जल, हवा, प्यार गाँव के कच्चे खपरैल घर वह सब एक एक कर अलग हो गये, क्योंकि इंसान के स्वार्थ ने देश से प्रेम करना नहीं सीखा प्रकृति व संस्कृति की रक्षा करना न सीखा नदिया तालाब सूख गये पेड़ों की ठण्डी छांव खत्म हो गई वर्षा के बादलों को रोकने वाले पहाड़ खत्म हो गये, अनेक जीव जन्तु पक्षी विलुप्त होते जा रहे हैं न घस न भूसा हमारी गरु माताएँ कागज, जूठन-जाठन खाकर जीवित हों, अंधा धुंध दोहन देश की सम्पत्ति का इसी तरह खत्म होना जारी रहा तो वह दिन दूर नहीं जब इंसान अपने किये का पछतावा माथे में हाथ रखकर करता दिखाई देगा। हम किससे देश की पीड़ा को वयां करे न वह कवि रहे न कहानीकार न देश के सम्मान की रक्षा का संकल्प लेने वाले मित्र। पुनः कहेंगे देश ने हमें सब कुछ दिया हम भी कुछ देश को देना सीखें। मैं शत-शत नमन अपने प्यारे देश को करता हूँ।

राजेन्द्र प्रसाद खरे,
संकाय सदस्य

